नरेगा–18001802023
के अधीन टोल–फ्री हैल्पलाइन स्थापित करने की घोषणा

ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी अधिनियम लागू किया जा रहा है। विभाग द्वारा अधिनियम के अधीन बनी योजनाएं एवं योजनाओं को समुचित रूप से लागू करने तथा अधिनियम के अधीन अधिकारों की सुरक्षा हेतु राज्य स्तरीय हेल्पलाईन चण्ड़ीगढ़ में स्थापित की गई है। टोल–फ्री बी.एस.एन.एल. नम्बर (18001802023) वाली हेल्पलाइन विभाग से दिशा– निर्देश प्राप्त करने एवं अपनी शिकायतें व समस्याएं जमा कराने, पूछताछ करने को नरेगा परिवारों एवं अन्य स्वायतों तथा समूहों के प्रयोग के लिए है।

ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा फ्री हैल्पलाईन के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगाः–

1. शिकायत का पंजीकृत एवं शिकायत तथा शिकायतकर्ता का विवरणो का रिकार्ड ।
2. शिकायत को कोड नम्बर प्रदान करना एवं इसे उपभोक्ता को देना।
3. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों तथा खण्ड विकास एव पंचायत अधिकारी के कार्यालयों को शिकायत पर उचित कार्यवाही करने उपरान्त शिकायत पर की गई कार्यवाही बारे शिकायतकर्ता को सूचित करने का निवेदन करना ।
4. नरेगा स्कीम से सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा मांगी गई सूचना की जानकारी प्रदान करना ।

NREGA
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़

www.haryanarural.gov.in